भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1103

05 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

हरित भवनों को बढ़ावा देना

†1103. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश भर में हरित भवनों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन, जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण पहलों सहित ऊर्जा संरक्षण और सतत भवन संहिता (ईसीएसबीसी) को अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) ऐसी पहलों के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के लिए ईसीएसबीसी अथवा समकक्ष ग्रीन बिल्डिंग कोड लागू करने वाले राज्य निकाय और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की यूएलबी-वार संख्या कितनी है;
(घ) क्या पारंपरिक अथवा मौजूदा भवनों को ऊर्जा दक्ष हरित संरचनाओं में बदलने की कोई नीति मौजूद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा प्रशासनिक प्रयोजनार्थ किन-किन हरित भवनों का निर्माण किया गया है और प्रस्तावित परियोजनाएं, स्थान और अपेक्षित समय-सीमा क्या है; और
(च) ईसीएसबीसी के कार्यान्वयन की निगरानी, अनुपालन और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): ऊर्जा संरक्षण और सतत भवन संहिता (ईसीएसबीसी) को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा 2024 में तैयार किया गया, जिसने ऊर्जा संरक्षण और भवन संहिता (ईसीबीसी) का स्थान लिया और यह नए भवनों या भवन परिसरों पर लागू है, चाहे वे आवासीय,

वाणिज्यिक या आधिकारिक उपयोग के हों, जिनका न्यूनतम कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या अनुबंधित मांग लगभग 120 केवीए और उससे अधिक हो।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता अभियानों और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के तहत, 2021 से पिछले पांच वर्षों में बीईई द्वारा कुल 973 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और लगभग 41,000 अधिकारियों को ईसीएसबीसी/ईसीबीसी पर प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य नियमावली के अनुसार सभी प्रमुख परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 3 स्टार (5 स्टार तक) जीआरआईएचए (एकीकृत आंकलन के लिए हरित रेटिंग-2021) प्रमाणन अनिवार्य है, जिसमें सभी पर्यावरण-अनुकूल विशेषताएं सभी परियोजनाओं का अभिन्न अंग हैं। सीपीडब्ल्यूडी ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की सहायता से दिल्ली दर अनुसूची (ईएंडएम) - 2025 प्रकाशित की है, जिसमें ऊर्जा कुशल ईएंडएम वस्तुओं का प्रावधान है। सीपीडब्ल्यूडी ने निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल दिया है और इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं। सीपीडब्ल्यूडी कार्यों में रूफटॉप फोटोवोल्टिक (पीवी) सौर ऊर्जा उत्पादन, सौर जल तापन, जियो-थर्मल हीट एक्सचेंज जैसी गैर-पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। भवनों में गर्मी से होने वाली हानि को कम करने तथा एसी उपकरणों का कम उपयोग कम करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी के कार्यों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी और सामग्री, ऊर्जा कुशल प्रकाश, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा कार्यान्वित ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 54,20,55,329 रुपये की राशि आवंटित की गई है। पिछले पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021-26) के लिए निधि आवंटन का विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, संहिता को विकसित और अपडेट करता है, राज्य इसे विधिक अधिसूचना के माध्यम से अपनाते हैं, और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) इसके प्रावधानों को भवन अनुमोदन और परमिट प्रक्रिया में एकीकृत करते हैं। 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 1,400 यूएलबी ने कार्यान्वयन के लिए ईसीबीसी को अपनाया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो देश भर में ईसीबीसी-अनुरूप भवनों या भवन परिसरों की सूची नहीं रखता है।

(घ) ऐसी कोई नीति मौजूद नहीं है। हालांकि, रेनोवेशन, अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस के काम के तहत ऊर्जा दक्ष हरित भवनों के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।

(ङ) हरित भवन मानदंडों वाली कुछ परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

i. ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली
ii. एम्स बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
iii. केटीपीओ परिसर, बैंगलोर
iv. आईआईएम, संबलपुर, ओडिशा
v. वाणिज्य भवन, नई दिल्ली
vi. कौशल भवन, नई दिल्ली
vii. भारत मंडपम, नई दिल्ली
viii. आयकर भवन, कोच्चि, केरल
ix. 2400 सीटर ऑडिटोरियम (धनधान्य), कोलकाता
x. अखिल भारतीय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एआईआईएवाईएंडएन), गोवा
xi. आईएसपीएटी स्तानकोत्तर चिकित्सा संस्थान और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, राउरकेला, ओडिशा

(च) ईसीएसबीसी से संबंधित प्रावधानों की निगरानी सभी साइट/परियोजना प्रभारियों द्वारा की जाती है।

*****

अनुलग्नक-i

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए बिल्डिंग हेड के तहत निधियों का राज्य-वार आवंटन (रुपये में)

आवंटित निधियां	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
अंडमान और निकोबार	-	-	-	-	-	**-**
आंध्र प्रदेश	2,97,84,900.00	-	2,31,18,976.00	21,09,731.00	7,46,400.00	**5,57,60,007.00**
अरुणाचल प्रदेश	1,25,00,000.00	-	-	-	-	**1,25,00,000.00**
असम	80,01,424.00	48,20,794.00	52,85,354.00	-	14,83,385.00	**1,95,90,957.00**
बिहार	55,59,423.00	-	23,34,000.00	-	-	**78,93,423.00**
चंडीगढ़	-	-	-	-	18,81,035.00	**18,81,035.00**
छत्तीसगढ	3,21,34,280.00	23,32,152.00	49,35,114.00	-	-	**3,94,01,546.00**
दमन और दीव	-	-	-	-	-	**-**
दिल्ली	51,68,636.00	-	-	-	-	**51,68,636.00**
गोवा	-	-	-	-	-	**-**
गुजरात	43,28,358.00	-	-	-	10,00,000.00	**53,28,358.00**
हरियाणा	51,81,970.00	34,44,420.00	34,69,898.00	13,27,540.00	11,37,094.00	**1,45,60,922.00**
हिमाचल प्रदेश	3,05,04,936.00	-	32,73,147.00	13,87,667.00	12,33,854.00	**3,63,99,604.00**
जम्मू और कश्मीर	43,45,940.00	-	40,00,000.00	4,50,000.00	11,00,000.00	**98,95,940.00**

झारखंड	70,53,981.00	-	-	21,61,081.00	-	**92,15,062.00**
कर्नाटक	38,45,620.00	17,16,448.00	5,72,448.00	-	-	**61,34,516.00**
केरल	42,06,107.00	37,90,157.00	37,00,000.00	-	10,00,000.00	**1,26,96,264.00**
लद्दाख	58,85,099.00	-	35,31,057.00	51,26,284.00	13,95,514.00	**1,59,37,954.00**
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	**-**
मध्य प्रदेश	59,72,057.00	-	-	-	32,14,896.00	**91,86,953.00**
महाराष्ट्र	45,43,000.00	18,17,200.00	47,67,970.00	2,00,00,000.00	8,59,200.00	**3,19,87,370.00**
मणिपुर	96,99,718.00	-	53,70,180.00	17,90,060.00	78,47,340.00	**2,47,07,298.00**
मेघालय	-	-	-	-	2,50,000.00	**2,50,000.00**
मिजोरम	-	-	-	-	-	**-**
नागालैंड	-	-	-	-	-	**-**
ओडिशा	62,69,779.00	50,00,000.00	32,85,648.00	-	23,95,514.00	**1,69,50,941.00**
पुदुचेरी	3,57,86,219.00	-	71,46,014.00	2,25,875.00	-	**4,31,58,108.00**
पंजाब	3,00,17,201.00	17,09,424.00	18,90,057.00	-	-	**3,36,16,682.00**
राजस्थान	47,15,280.00	-	27,12,288.00	-	-	**74,27,568.00**
सिक्किम	2,50,00,000.00	7,00,000.00	7,25,077.00	-	-	**2,64,25,077.00**
तमिलनाडु	40,29,700.00	-	-	-	11,05,896.00	**51,35,596.00**
तेलंगाना	53,93,780.00	18,72,896.00	61,49,249.00	24,09,760.00	-	**1,58,25,685.00**
त्रिपुरा	-	-	-	-	-	**-**
उत्तर प्रदेश	60,89,980.00	35,71,766.00	2,19,27,664.00	56,70,183.00	-	**3,72,59,593.00**
उत्तराखंड	1,65,78,360.00	9,37,632.00	91,70,717.00	-	-	**2,66,86,709.00**

पश्चिम बंगाल	58,40,410.00	-	-	52,33,115.00	-	**1,10,73,525.00**
कुल	**31,84,36,158.00**	**3,17,12,889.00**	**11,73,64,858.00**	**4,78,91,296.00**	**2,66,50,128.00**	**54,20,55,329.00**

******